संख्या-60/001/184डब्लू-1-25-27-3099-178-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 नवम्बर, 2025

विषयः मा0 न्यायालय अपर जिला जज वाणिज्यिक, देहरादून में योजित निष्पादनवाद संख्या-152/2020 लोकेन्द्र वर्मा बनाम अधीक्षण अभियन्ता व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.02.2025 एवं 23.06.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-632/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/गंगा, दिनांक 01.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी से संबंधित समानान्तर ऊपरी गंगा नहर के किमी0 29.250 पर स्टॉप लॉग स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु गठित अनुबंध संख्या-आर1-1-02-076, दिनांक 07.02.1994 के माध्यम से ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य के अवशेष भुगतान के संबंध में याची द्वारा योजित निष्पादनवाद संख्या-152/2020 लोकेन्द्र वर्मा बनाम अधीक्षण अभियन्ता व अन्य में मा0 न्यायालय अपर जिला जज वाणिज्यिक, देहरादून के आदेश दिनांक 11.02.2025 एवं 23.06.2025 की अनुपालना हेतु धनराशि रूपये 63,22,012.00 (तिरेसठ लाख बाईस हजार बारह मात्र) को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अतः उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी से संबंधित समानान्तर ऊपरी गंगा नहर के किमी0 29.250 पर स्टॉप लॉग स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु गठित अनुबंध संख्या-आर1-1-02-076, दिनांक 07.02.1994 के माध्यम से ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य के अवशेष भुगतान के संबंध में याची द्वारा योजित निष्पादनवाद संख्या-152/2020 लोकेन्द्र वर्मा बनाम अधीक्षण अभियन्ता व अन्य में मा0 न्यायालय अपर जिला जज वाणिज्यिक, देहरादून के आदेश दिनांक 11.02.2025 एवं 23.06.2025 की अनुपालना हेतु धनराशि रूपये 63,22,012.00 (तिरेसठ लाख बाईस हजार बारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 63,22,012.00 (तिरेसठ लाख बाईस हजार बारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
(6) मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, सहारनपुर।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ।
(10) अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।